

# पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

## POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)



पावरग्रिड

कार्यालय : बी-4/184, चित्रकूट योजना, प्रताप स्टेडियम के पास, जयपुर-302 021 फोन : 0141-2440726  
Office : B-4/184, Chitrakoot Scheme, Near Pratap Stadium, Jaipur-302 021 Ph. : 0141-2440726

सन्दर्भ संख्या -उ.क्षे.1/जयपुर/

दिनांक -08.01.2019

सेवा में,

ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री पातीराम शर्मा,  
जिंदल मैरेज हॉल के सामने,  
गोमती नगर, ब्लॉक C,  
करौली

विषय: CPIO के सही पते हेतु ।

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है की आपके द्वारा भेजी गयी RTI को निम्न पते पर भेजे :

CPIO,

Powergrid Corporation Of India Limited,

B-9 Qutub Institutional Area,

Katwaria Sarai,

New Delhi

RTI संबन्धित अधिकारी (CPIO, POWERGRID) दिल्ली कार्यालय में कार्यरत हैं , आपके द्वारा जयपुर कार्यालय में भेजी गयी RTI को इस पत्र के साथ वापस किया जा रहा है | आपसे अनुरोध है की उपरोक्त दिये हुए पते पे भेजने का कष्ट करे |

धन्यवाद ।

प्रेषक

मनीष झरवाल

प्रबंधक, जयपुर

अप्रक्राम्य अपरक्राम्य  
NOT NEGOTIABLE



# भारतीय पोस्टल आर्डर INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.



सत्यमेव जयते

PAY TO सहायक सूचना अधिकारी  
पाठित कार्यालय जयपुर को  
पचास रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES FIFTY ONLY

डाक टिकट  
POSTAGE STAMPS

₹ 50

AT THE POST OFFICE AT

कमीशन COMMISSION रुपए 5 RUPEES

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।  
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

from: ओम्प्रकाश शर्मा डब्ली पालीराम शर्मा

16 जिनैटल मेरिज के पास गोमरी नगर जयपुर

के डाकघर में अदा करें।

वैधता - जारी करने के महीने के अंतिम दिन से 24 महीने और द्वितीय कमीशन के भुगतान जारी करने के महीने की अंतिम दिन से 36 महीने।  
Validity - 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.  
इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

91G 570562

भारतीय डाक विभाग  
भारतीय पोस्टल आर्डर  
भारतीय डाक विभाग

सूचना प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र का प्रारूप

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 (1))

प्रेषित

लोक सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी

कार्यालय :- पावर फ़िट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

जयपुर

(1) आवेदक का पूरा नाम

ओम प्रकाश शर्मा 2/0 श्री वारीराम शर्मा 6/0 रामशाशु शर्मा

(2) पता :- 2/0 जिंदल मैरिज हॉल के पास गोमती नगर ब्लॉक ट लीन वड

झोली नटव जिला झोली राजस्थान

(3) चाही गई सूचना की विशिष्टिया :-

विभाग कार्यालय का नाम, जिससे सूचना सम्बन्धित है पावर फ़िट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया

लि. 0-25/2004/200 के अन्तर्गत सी. 17 रा. मार्ग नं. 75, ग्राम झुपुरा पो. शेरा, झोली

सूचना की प्रकृति मुद्रापत्र (हस्त) की प्रतिलिपि करने के लिये

सूचना की अवधि ... 07/07/2015

चाही गई सूचना का विवरण पावर फ़िट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लि. 0-25/2004/200 के अन्तर्गत

हस्ता 2 नीम डेपेंड 260, 150 CM के दिनांक 01/01/2015 को कटे जाये और आपकी ओर से

निष्पत्त कर चारी श्रीराम शर्मा के मुद्रापत्र प्रमाण पत्र दिया। इस पत्रों का मुद्रापत्र शक्ति

स्वादेश/सर्वक के आज दिनांक 07/07/2015 को प्रमाण पत्र नहीं दिया। यदि किन्हीं से जानकारी चाहिए।

(4) क्या फीस देने का सबूत संलग्न कर दिया है? एवं मुद्रापत्र शक्ति दिसवादी जाये।

1. आवेदन शुल्क रुपये ... 50

डीडी/बैंक्स चैंक न. Postal order 91/570562

बैंक का नाम ... डाकघर अनाज मंडी झोली

2. रिकार्ड के निरीक्षण हेतु शुल्क

3. फोटो प्रति शुल्क

(5) यदि आवेदक बीपीएल परिवार से है तो दस रुपये की फीस देय नहीं है।

बीपीएल क्रमांक संख्या ...

स्थान : झोली

Mob-9928708960

दिनांक : 04/01/19

ओम प्रकाश शर्मा

आवेदक के हस्ताक्षर

# पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

765/400/220 के.व्ही. उपकेन्द्र, कि.मी. 17, रा. राजमार्ग-75, ग्राम अडुपुरा,  
पोस्ट, रौरा, झांसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)



वृक्ष (क्षों) की कटाई / काँट - छाँट / फसल (लों) को हटाने के संदर्भ में  
मुआवजा हेतु प्रमाण-पत्र

5197

सी.सी.टी.सी. सं.: WRTS/GWL/TLC/C-G

765 के.व्ही. ग्वालियर - जयपुर परेषण लाईन (SC/DC) .....के टावर स्थल सं. ....के मध्य

(1) मैं/हम/श्री/श्रीमती.....आत्मज/पत्नी.....ग्राम.....तहसील.....  
तालुका.....जिला.....में स्थित है, जो मेरे/हमारे स्वामित्व की है, काटे गये/क्षतिग्रस्त हुए वृक्ष/फसल के  
संबंध में वास्तविक हानि का मुआवजा जिसका मूल्यांकन एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट/राजस्व विभाग/समुचित सरकार द्वारा  
विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, द्वारा किया गया है जो पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा देय है, मुझे/हमें स्वीकार्य है।

(2) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लेखित वृक्ष / फसल पावरग्रिड के इंजीनियर के आदेश से गिराये / क्षतिग्रस्त  
किये गये थे और उसका कब्जा मुझे / हमें सौंपा जा चुका है।

(3) काटे गये वृक्ष / काटी / क्षतिग्रस्त की गई फसल का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र. सं. (1)	वृक्ष/फसल का / के प्रकार (2)	वृक्ष ( क्षों ) की ऊँचाई व मोटाई/फसल ( लों ) का ब्यौरा (3)	टिप्पणी (4)
	नीम 260, 150		

(4) पुनः यह प्रमाणित कर वचन दिया जाता है कि ऊपर लिखित वृक्ष ( क्षों ) फसल ( लों ) के संबंध में कोई अन्य व्यक्ति  
यदि कोई भी दावा करता है तो मैं / हम उसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे एवं इस संबंध में यदि पावरग्रिड  
को कोई हानि होती है तो मैं / हम उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे।

(5) यह भी विशेष रूप से घोषित किया जाता है कि ऊपर पैरा-3 में दर्शाए गए/गई वृक्ष (क्षों) / फसल (लों) की हानि /  
क्षति के अतिरिक्त और सिवाय मुझे / हमें और कोई हानि या क्षति नहीं हुई है।

स्वामी के हस्ताक्षर

दिनांक :

पावरग्रिड का अनुमोदन

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
के लिए और इसकी ओर से

हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

पदनाम : .....

दिनांक : .....

(.....)  
31/7/15



from

श्री भद्रकाश शर्मा ए/० रामवासु शर्मा  
एन.एल. मेरिज हॉल के पास जेम्सली गार्ड  
प्लॉट ८ लीन ७४ खोली नरन व जिला  
खोली (बिपन)

सहायक सूचना अधिकारी पावर फ़िट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया  
184, मोरिया मार्ग सेक्टर-6 चिब्रुट  
जयपुर (राजस्थान)

(इस लाइन के नीचे न तो लिखें और न ही मुद्रित करें Do not write or print below this line)

111

पिन PIN 302021